न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी – सुभाष चन्द्र, आर.ए.एस.

मैनुअल प्र.सं. : 03 / 2022
जीसीएमएस : 2022 / 73

1 रामकुमार पुत्र हजारीराम जाति बिश्नोई निवासी 6 पीटीडी ए तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0

–प्रार्थी

बनाम

1. मदनलाल पुत्र हजारीराम जाति बिश्नोई निवासी 6 पीटीडी ए तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर

–अप्रार्थीगण

अन्तर्गत धारा 251क(1) आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :–

1. श्री भूपसिंह सिंह मेघवाल, वकील प्रार्थी
2. श्री सुभाष बिश्नोई, वकील अप्रार्थी सं. 1

–: निर्णय :–

दिनांक : 29.07.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी को उनकी भूमि चक 6 पीटीडी ए खाता सं. 43 में दर्ज मु.नं. 27 प.नं. 233 / 362 में 3.489है. नहरी, 0.075है. खाला व मु.नं. 29 प.नं. 233 / 363 की 0.493है. कुल 4.057है. नहरी मय खाला खातेदारी भूमि को काश्त करने व फसल लाने व कृषि यंत्र लाने व ले जाने के प्रयाजन के लिए अप्रार्थी सं. 1 की भूमि चक 6 पीटीडी ए मु. नं. 27 प.नं. 233 / 362 के कि.नं. 5–6 प्रत्येक में 0.018है. कुल 0.036है. पूर्वी पासा रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया एवं तहसीलदार रायसिंहनगर से मौका जांच रिपोर्ट तलब की गयी। अप्रार्थी सं. 1 जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी द्वारा अपनी भूमि कि.नं. 5–6 प्रत्येक में 0.018है. पूर्वी पासा भूमि रास्ता हेतु छोड़ी हुई हैं। जिसके जरिये अप्रार्थी व प्रार्थी अपनी अपनी कृषि भूमि व अपनी अपनी रिहायशी ढाणी में आवागमन कर रहे हैं तथा इस रास्ता का संयुक्त रूप से उपयोग उपभोग कर रहे हैं। यदि अप्रार्थी की भूमि में रास्ता स्वीकृत किया जाकर रास्ता का राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद किया जाता हैं तो अप्रार्थी को कोई एतराज व आपत्ति नहीं हैं। रास्ता की एवज में अप्रार्थी ने प्रार्थी से एक मुश्त मुआवजा राशि भी प्राप्त कर ली हैं।

रिपोर्ट तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर क्रमांक / राजस्व / 2022 / 1230 दिनांक 30.06.2022 प्राप्त हुई। मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थी चक 6 पीटीडी ए प.नं. 233 / 362 मु.नं. 22 कि.नं. 21 ता 25 में स्वीकृतशुदा रास्ता से प.नं. 233 / 362 मु.नं. 27 कि.नं. 5–6 प्रत्येक में 0.018–0.018है. पूर्वी पासा पर रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते [illegible] मु.नं. 27 के कि.नं 5–6 के पूर्वी पासा पर 0.025–0.025है. [illegible] खाला दर्ज [illegible] हैं परन्तु मौके पर खाला की भूमि पर लगभग 12 फुट रास्ता [illegible] है तथा अप्रार्थी मदनलाल की ढाणी कि.नं. 5–6 की पूर्वी सीमा से लगभग [illegible] हैं। प्रार्थी खाला की जगह पर रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता [illegible] में आवागमन हेतु निकटतम दूरी का रास्ता मु.नं. 27 के कि.नं. 1 के पश्चिमी पासा [illegible] बनता हैं, जो नियमानुसार दिया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

बहस वकील उभयपक्ष की सुनी गयी। वकील उभयपक्ष अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी उक्त रास्ता को आपसी सहमति से स्वीकार करवाना चाहते हैं। वकील प्रार्थी खाला की जगह को छोड़ते हुए उसके साथ साथ रास्ता स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Veri
Digitally signed by Sub
Chandra
Date: 2022.10.28 11:14
Reason: SelfAttested

बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की भूमि में से रास्ता की मांग की गयी हैं, जिस पर अप्रार्थी द्वारा सहमति दी गयी हैं एवं रास्ता स्वीकृत करने के लिए निवेदन किया हैं। रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार वांछित रास्ता कि.नं. 5–6 पूर्वी दिशा में खाला दर्ज हैं। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया हैं कि खाला के साथ साथ रास्ता स्वीकृत किया जावे। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना न्यायोचित हैं। चूंकि अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया हैं कि उन्होंने प्रार्थी से मुआवजा राशि प्राप्त कर ली हैं। ऐसी स्थिति में बिना किसी प्रतिफल के रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित हैं।

लिहाजा उक्त विवेचन एवं पक्षकारान की सहमति के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी 251ए आरटीए स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी की भूमि चक 6 पीटीडी ए मु.नं. 27 प.नं. 233/362 के कि.नं. 5–6 प्रत्येक में 0.018है. कुल 0.036है. पूर्वी पासा गै.मु. रास्ता खाला के साथ–साथ स्वीकृत किया जाता हैं। तहसीलदार रायसिंहनगर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में स्वीकृतशुदा गै.मु. रास्ता का अमल दरामद करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 29.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष चन्द्र)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.10.28 11:14:02 IST
Reason: SelfAttested